CMA (Dr.) Brijesh K. Jaiswal
Associate Professor
Dept. of Commerce
Harish Chandra P.G. College
Varanasi-U.P. (221001)

SYLLABUS
BACHELOR OF COMMERCE
(THREE YEARS FULL TIME PROGRAMME)

B.Com. Part – III

Paper Code	Paper Name	External (Yearly Examination)	Practical	Total
BC 301	Income Tax	100	--	100
BC 302	Business Finance	100	--	100
BC 303	Economic Environment	100	--	100
BC 304	Entrepreneurship & Small Business	100	--	100
BC 305	Money & Financial System	100	--	100
BC 306 (A)	Information Technology	80	20	100
OR	**OR**			
BC 306 (B)	Goods & Services Tax (GST)	100		100
OR	**OR**			
BC 306 (C)	Principles And Practices of Actuaries	100		100
BC 307	Viva-Voce	50	--	50
	Grand Total	650		650

CMA (Dr.) Brijesh K. Jaiswal
Associate Professor
Dept. of Commerce
Harish Chandra P.G. College
Varanasi-U.P. (221001)

Code: BC 301

INCOME TAX

Objective: It enables the students to know the basic knowledge of income Tax Law comprises of Income Tax Act,1961. Income Tax Rules,1962, Government Notification. Finance Act –Annual. Circular & Clarification of CBDT, Judicial Decision and its implications.

Unit-I

Income Tax: Meaning, Objectives and Importance, Definition of Important Terms as per Income Tax Act, 1961-Income, Gross Total Income, Total Income, Agricultural Income, Assessment Year, Previous Year, Assessee and Person, Residence and Tax Liability, Exempted Incomes, Computation of Taxable Income under Salary head.

Unit-II

Computation of Taxable Income from House Property, Profit and Gains from business and profession or Vocation, (with provision of Depreciation) Capital Gains.

Unit-III

Computation of Taxable Income from other sources, Aggregation of Incomes and Deemed Incomes. Set-off and Carry Forward of Losses, Deductions from Gross Total Income, Assessment of an Individual.

Unit-IV

Assessment of H.U.F. and Firm, Assessment procedures:- Filing of Return, Types of Assessment, Tax Administration:- Authorities, Appeals & Penalties, Tax deduction at source, Advance payment of tax, Tax Management, Tax planning, Tax Evasion and Tax Avoidance

REFERENCES:

01. Ahuja, Giri & Gupta, Ravi : Systematic Approach to Incomes Tax
02. Agrawal, B.K. : Income Tax law and practice
03. Agrawal, B.K. : Ayakar Vidhan Avam lekhe
04. Chandra, Mahesh&Shukla, D.C. : Income Tax Law and practices
05. Chandra, Girish : Income Tax
06. Income Tax Act and Rules : BAREACT
07. Journal of Taxmann :
08. Jain, Gaur& Narang : Ayakar
09. Mehrotra, H.C. : Income Tax Law and Practice
10. Mehrotra, H.C. : Ayakar Vidhan Avam Lekhe (kar Niyojan Sahit)
11. Prasad, Bhagwati : Income Tax and practice
12. Pagare, Dinkar : Income Tax Law practice
13. Ranga & Palkhiwala : The Law and Practices of Income Tax.
14. Singhania, V.K. : Direct Taxes- Law and Practice
15.Jaiswal K.S. and Agrawal Raj.K : Income Tax law & Accounts.

आय-कर का आशय (Meaning of Income-tax)

आय-कर दो शब्दों के योग से बना है—'आय' एवं 'कर' अर्थात् आय पर लगने वाला कर। **आय-कर एक प्रत्यक्ष वार्षिक कर है जो किसी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में अर्जित** (Accrued) **या प्राप्त** (Received) **शुद्ध कर-योग्य आय** (Net Taxable Income) **पर चालू कर-निर्धारण वर्ष** (Current Assessment Year) **में निर्धारित आय-कर की दरों से गणना करके केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है।** यह केन्द्रीय सरकार की आय का प्रमुख साधन है। अत: भारतीय राजस्व में आय-कर का महत्वपूर्ण स्थान है।

आय-कर किसके द्वारा चुकाया जाता है ? (Who is Liable to Pay Income-tax ?)

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति (Individual) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family) द्वारा, जिनकी गत वर्ष की कुल आय कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक होने पर इस आधिक्य आय पर, आय-कर चुकाया जाता है। इसके अतिरिक्त आय-कर फर्म (Firm), कम्पनी (Company), सहकारी समिति (Co-operative Societies), व्यक्तियों के संघ (Association of Persons) तथा व्यक्तियों के समूह (Body of Individuals) द्वारा भी चुकाया जाता है।

आय-कर विभाग (Income-tax Department)

एक करदाता की कर-योग्य आय, उस पर कर की गणना करना एवं उस कर की राशि को वसूल करने का कार्य एक पृथक् विभाग द्वारा किया जाता है जिसे आय-कर विभाग कहते हैं। यह केन्द्रीय सरकार का विभाग है जो प्रत्यक्ष करों

के केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) के नियन्त्रण में कार्य करता है। यह विभाग केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अधीन होता है।

वित्त अधिनियम (Finance Act)

सामान्यत: प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह में संसद में एक विधेयक (Bill) प्रस्तुत किया जाता है जिसे वित्त विधेयक (Finance Bill) कहते हैं। बाद में इसके पास हो जाने पर यह वित्त अधिनियम कहलाता है। इस अधिनियम में प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर की दरों का उल्लेख रहता है। इसी अधिनियम के आधार पर आय-कर अधिनियम में आवश्यक संशोधन किये जाते हैं। यदि किसी वर्ष वित्त अधिनियम में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है तो पूर्व वर्ष के वित्त अधिनियम के संशोधन ही लागू होंगे।

आय-कर लगाने के उद्देश्य
(OBJECTS OF CHARGING INCOME-TAX)

प्रारम्भ में आय-कर लगाने का उद्देश्य उन आर्थिक हानियों की पूर्ति करना था जो सन् 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण उत्पन्न हुई थीं, किन्तु वर्तमान में इसे लागू करने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होना है :

(1) **आय का स्थायी साधन**—सरकार को देश एवं जनहित में अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे, शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करना, देश में कानून व्यवस्था (Law and Order) बनाये रखना, जनोपयोगी कार्य करना। इन सभी कार्यों के लिए सरकार को निरन्तर धन की आवश्यकता पड़ती है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आय-कर के द्वारा सरकार को प्राप्त होता है। आय के स्थायी व निरन्तर साधन बनाये रखने के उद्देश्य से सरकार आय-कर लगाती है और वसूल करती है।

(2) **आर्थिक विषमताएँ दूर करना**—भारत सरकार का लक्ष्य है—देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना। यह तभी सम्भव है, जबकि देश में अमीरों व गरीबों के बीच की खाई को पाटा जा सके। आय-कर के माध्यम से सरकार अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में धीरे-धीरे सफलता प्राप्त कर रही है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आय-कर की खण्ड प्रणाली (Slab System) को लागू किया है।

(3) **बचत एवं विनियोगों को प्रोत्साहन**—सरकार द्वारा आय-कर अधिनियम में कुछ इस प्रकार के प्रावधान किये गये हैं जो जनता को बचत करने व विनियोगों में वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपना, अपने जीवन-साथी (Spouse) या अपने बच्चों का जीवन बीमा कराता है अथवा कुछ निर्धारित योजनाओं में रकम जमा करता है, तो उसके द्वारा चुकाई गई रकम को सकल कुल आय में से अधिकतम ₹ 1,50,000 तक कम कर दिया जाता है जिससे उसकी कर-योग्य आय कम हो जाती है और कर-दायित्व भी कम होता है।

(4) **पूँजी निर्माण**—जब कोई व्यक्ति अपनी बचतों को विनियोगों के रूप में जमा करता है, तो इससे देश में पूँजी निर्माण में वृद्धि होती है। सरकार इस धन को भी महत्वपूर्ण कार्यों में प्रयोग करती है।

कर-निर्धारण वर्ष

[धारा 2(9)]

(ASSESSMENT YEAR)

आय-कर के अध्ययन में **'कर-निर्धारण वर्ष'** शब्द अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक करदाता की गत वर्ष की आय पर सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। **आय-कर अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार, 'कर-निर्धारण वर्ष' का अर्थ उस 12 माह की अवधि से है जो प्रति वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होती है तथा अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है।** उदाहरण के लिए, कर-निर्धारण वर्ष ~~2019-20~~ 2020-21 का आशय है, जो वर्ष ~~2019~~ 2020 के 1 अप्रैल को आरम्भ होगा तथा वर्ष 2021 के 31 मार्च को समाप्त होगा।

गत वर्ष

[धारा 3]

(PREVIOUS YEAR)

एक करदाता द्वारा गत वर्ष में कमाई गई आय पर सम्बन्धित चालू कर-निर्धारण वर्ष में कर का भुगतान किया जाता है। अत: **'गत वर्ष'** शब्द का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। सरल शब्दों में, **जिस वर्ष में आय कमाई या प्राप्त की जाती है उसे गत वर्ष कहते हैं।** चूँकि कर-निर्धारण वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होता है, अत: इससे पूर्व की तिथि (31 मार्च) तक की अवधि को गत वर्ष कहते हैं। गत वर्ष को वित्तीय वर्ष (Financial Year) या लेखांकन या हिसाबी वर्ष (Accounting Year) के नाम से भी जाना जाता है।

गत वर्ष प्रत्येक स्थिति में 31 मार्च तक अवश्य ही समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि अगले ही दिन (1 अप्रैल) से उस गत वर्ष में अर्जित या प्राप्त की गई आय पर कर-निर्धारण प्रारम्भ हो जायेगा। दूसरे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि गत वर्ष अधिक से अधिक 12 माह के उस हिसाबी वर्ष को कहते हैं जो कर-निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्व 31 मार्च को समाप्त हुआ हो। उदाहरण के लिए, कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 का गत वर्ष 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ माना जायेगा। गत वर्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी आवश्यक है :

(1) **पूर्व वित्तीय वर्ष**—कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष को गत वर्ष कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, कर-निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए 2019-20 का वित्तीय वर्ष, गत वर्ष कहलायेगा।

(2) **आय के प्रत्येक स्रोत के लिए वित्तीय वर्ष ही गत वर्ष होगा**—कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से पहले कोई भी करदाता अपनी सुविधानुसार आय के पृथक्-पृथक् साधनों के लिए पृथक्-पृथक् गत वर्ष रख सकता था, जैसे, दीवाली वर्ष, दशहरा वर्ष, कलैण्डर वर्ष, **किन्तु प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम, 1987 के अनुसार अब कोई भी करदाता अलग-अलग गत वर्ष नहीं रख सकता है। यह संशोधन कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से प्रभावी हुआ है। इसके अनुसार आय के सभी स्रोतों के लिए एकसमान गत वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) को अपनाया जाना आवश्यक है।**

(3) **पृथक् आधार पर हिसाबी वर्ष**—यदि कोई करदाता किसी कारणवश अपना हिसाब-किताब वित्तीय वर्ष के आधार पर नहीं रखता है, बल्कि अन्य किसी आधार पर रखता है तो वह ऐसा कर तो सकता है, किन्तु उसे आय-कर निर्धारण हेतु अलग से 31 मार्च तक का हिसाब तैयार करना होगा। उदाहरण के लिए, मि. रवि अपने बहीखाते धार्मिक भावना से प्रेरित होकर दीवाली या दशहरा वर्ष के आधार पर रखते हैं। ऐसी स्थिति में वह ऐसा कर तो सकते हैं, किन्तु आय-कर निर्धारण हेतु उन्हें अपना हिसाब अलग से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक तैयार करना होगा। ऐसी स्थिति में किसी भी करदाता को ऐसा करने में दो बार हिसाब-किताब तैयार करना पड़ेगा जो व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इस कठिनाई से बचने के लिए अधिकांश करदाता अपना हिसाब-किताब वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के आधार पर ही रखने लगे हैं।

(4) **वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ हुए नये व्यापार या पेशों के लिए गत वर्ष**—यदि कोई व्यापार या पेशा वित्तीय वर्ष के बीच में कभी भी (1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य) शुरू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम गत वर्ष की अवधि व्यापार या पेशे के शुरू होने की तिथि से आगामी 31 मार्च तक की मानी जायेगी। उदाहरण के लिए, यदि श्री अमित अपना व्यापार 30 जनवरी, 2019 को प्रारम्भ करते हैं, तो उनके व्यापार का गत वर्ष 30 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक होगा। अत: नये प्रारम्भ हुए व्यापार या पेशे के लिए प्रथम गत वर्ष 12 महीने अथवा कम की अवधि का होगा। यह कभी 12 माह से अधिक नहीं हो सकता है।

(5) **आय के किसी नये स्रोत के लिए गत वर्ष**—यदि किसी वित्तीय वर्ष में आय कमाने का कोई नया स्रोत प्राप्त हुआ है तो उसके लिए गत वर्ष स्रोत के प्रारम्भ होने की तिथि से उसके तुरन्त बाद आने वाले 31 मार्च तक की अवधि को माना जायेगा। उदाहरण के लिए, मि. राकेश, जो एक बैंक अधिकारी हैं, अपने मकान को सर्वप्रथम 1 जनवरी, 2019 को किराये पर उठाते हैं, तो किराये की इस आय के स्रोत के लिए 1 जनवरी, 2019 से 31 मार्च, 2019 तक (केवल 3 माह) की अवधि गत वर्ष मानी जायेगी।

(6) **अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि के लिए गत वर्ष**—किसी व्यक्ति के खाते में कोई ऐसी धनराशि, आय-कर अधिकारी द्वारा पाई जाती है, जिसका वह व्यक्ति सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाता है, तो इसे अप्रकट या अस्पष्ट धनराशि (Unexplained or undisclosed money) कहते हैं और यह आय-कर अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति की आय मान ली जाती है। इस आय के लिए गत वर्ष वही होगा जो उस व्यवसाय का है जिसके खातों में यह जमा राशि पाई गई है।

(7) **फर्म में लाभ के भाग के लिए गत वर्ष**—किसी करदाता का फर्म में लाभ के लिए गत वर्ष वह माना जायेगा जो उस फर्म का गत वर्ष है।

गत वर्ष के सामान्य नियम के अपवाद
(EXCEPTIONS OF GENERAL RULE OF PREVIOUS YEAR)

सामान्य नियम यह है कि करदाता द्वारा गत वर्ष की कर-योग्य आय पर आय-कर का भुगतान सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में किया जाता है, किन्तु कुछ ऐसी भी दशाएँ हैं जिनमें गत वर्ष की आय पर **गत वर्ष में ही** कर लगाया जाता है अर्थात् इस सामान्य नियम के कुछ अपवाद भी हैं। ये अपवाद अग्रलिखित हैं :

(1) **अनिवासी की समुद्री जहाज द्वारा व्यापार से आय**—आय-कर अधिनियम की **धारा** 172 के अनुसार ऐसे अनिवासी करदाता जो भारतीय बन्दरगाह से समुद्री जहाज द्वारा सामान, डाक, पशु अथवा यात्रियों को ले जाते हैं, की दशा में उन्हें भाड़े की प्राप्ति का $7\frac{1}{2}\%$ भाग जहाज के मालिक की कर-योग्य आय मानी जायेगी, जिस पर उन्हें आय कमाने वाले वर्ष में ही **कर** चुकाना होगा।

(2) **भारत छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की आय**—आय-कर अधिनियम की **धारा** 174 के अनुसार यदि आय-कर अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत छोड़कर जा रहा है, ऐसा विचार रखते हैं कि वह व्यक्ति पुनः भारत वापस नहीं आयेगा, तो ऐसे व्यक्ति से उसी गत वर्ष में ही उस व्यक्ति के जाने की सम्भावित तिथि तक अर्जित की गई आय पर **कर** ले लिया जायेगा।

(3) **किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु व्यक्तियों के संघ** (AOP) **या व्यक्तियों का समूह** (BOI) **या कृत्रिम व्यक्ति का बनाया जाना**—आय-कर अधिनियम की **धारा** 174A के अनुसार यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु व्यक्तियों के संघ आदि का निर्माण किया जाता है और उस प्रयोजन के पूरा हो जाने पर उसका विघटन कर दिया जाता है तो चालू कर-निर्धारण वर्ष में ऐसे व्यक्तियों के संघ या समूह से उसके विघटन होने की तिथि तक कर वसूल किया जायेगा।

(4) **कर बचाने के उद्देश्य से सम्पत्ति का हस्तान्तरण**—आय-कर अधिनियम की **धारा** 175 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण दूसरे व्यक्ति को इस इरादे से करता है कि कर की बचत हो जाये, तो कर-निर्धारण अधिकारी उस तिथि तक की आय पर उसी वर्ष में **आय-कर** की माँग कर सकता है।

(5) **व्यापार अथवा पेशे के बन्द करने पर**—आय-कर अधिनियम की **धारा** 176 के अनुसार किसी व्यापार या पेशे को बन्द करने की दशा में, गत वर्ष प्रारम्भ होने के बाद से व्यापार या पेशा बन्द होने की तिथि तक के लाभों पर उसी समय ही कर-निर्धारण करके **आय-कर** वसूल कर लिया जायेगा।

व्यक्ति
(PERSON)

[**धारा** 2(31)]

आय-कर अधिनियम की **धारा** 2(31) के अनुसार **'व्यक्ति'** शब्द में निम्नांकित को शामिल किया जाता है :

(क) एक व्यक्ति (An Individual), जैसे, रमेश, हरी, सीता, आदि

(ख) एक हिन्दू अविभाजित परिवार (A Hindu Undivided Family)

(ग) एक कम्पनी (A Company)

(घ) एक फर्म (A Firm)

(ङ) एक व्यक्तियों का संघ (An Association of Persons) तथा व्यक्तियों का एक समूह (A Body of Individuals), जैसे, सहकारी समिति (Co-operative Society)

(च) एक स्थानीय सत्ता (A Local Body), जैसे, नगरपालिका, जिला परिषद्, आदि

(छ) कोई भी कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (Artificial Juridical Person), जैसे, कोई देवी, देवता, विश्वविद्यालय

(ज) कोई भी कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति (Artificial Person created by Law), जो कि उपर्युक्त किसी भी बिन्दु में न आता हो।

एक व्यक्ति (Individual)—व्यक्ति का अर्थ केवल प्राकृतिक व्यक्ति अथवा मानव से है। इसके अन्तर्गत नाबालिग अथवा पागल व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, ट्रस्ट के ट्रस्टी आदि को सम्मिलित किया जाता है।

कम्पनी (Company)– **धारा** 2(17) के अन्तर्गत दी हुई परिभाषा।

फर्म (Firm)—भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 के अन्तर्गत परिभाषित।

व्यक्तियों का संघ (Association of Persons)—जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य अथवा कार्य के लिए एक साथ कार्य करते हैं।

करदाता
(ASSESSEE)

[धारा 2(7)]

आय-कर अधिनियम की **धारा 2(7)** के अनुसार, 'करदाता' शब्द में निम्नांकित को शामिल किया जाता है :

(क) वह व्यक्ति जो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी है।

(ख) वह व्यक्ति जो कर के अतिरिक्त अन्य राशि (अर्थदण्ड, ब्याज) देने के लिए उत्तरदायी है।

(ग) ऐसा व्यक्ति जिसकी आय पर आय-कर लगाने की कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(घ) 'माना हुआ करदाता' (Deemed Assessee) भी करदाता की श्रेणी में शामिल किया जाता है।

(ङ) ऐसा व्यक्ति जिसे चूक में करदाता (Assessee in Default) मान लिया गया हो।

(च) उस व्यक्ति द्वारा स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चुकाये गये कर की वापसी या हानि निर्धारण के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गई हो।

(छ) कर-निर्धारण वर्ष 2006-07 से करदाता की परिभाषा को विस्तृत किया गया है। अब प्रत्येक ऐसा व्यक्ति भी करदाता की परिधि में शामिल किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में सीमान्त लाभों (Fringe Benefits) पर कर-निर्धारण के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा चुकी है। **सीमान्त लाभ का आशय उन लाभों से है जिनका उल्लेख आय-कर अधिनियम की धारा 115WB में किया गया है।**

माना हुआ करदाता (Deemed Assessee)

वह व्यक्ति माना हुआ करदाता कहलाता है जिसे अन्य किसी व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए करदाता मान लिया गया हो, जैसे, किसी मृत व्यक्ति की आय पर कर चुकाने के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारी को **'माना हुआ करदाता'** कहा जायेगा।

चूक में करदाता (Assessee in Default)

आय-कर चुकाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति यदि उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को **चूक में करदाता** माना जाता है, जैसे, एक बैंक के प्रबन्धक की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों के वेतन पर उद्गम स्थान पर कर काटे और उसे सरकारी खजाने में जमा करे। यदि वह कर्मचारी को वेतन का भुगतान करते समय आय-कर की रकम नहीं काटता है, तो वह प्रबन्धक **'चूक में करदाता'** माना जायेगा।

आय
(INCOME)

[धारा 2(24)]

आय-कर के अध्ययन में **'आय'** शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आय-कर किसी व्यक्ति की आय पर ही लगाया जाता है। वास्तव में, आय-कर अधिनियम की विषय-सामग्री ही आय है, किन्तु आय-कर अधिनियम में 'आय' शब्द की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम की **धारा 2(24)** केवल इस बात की तरफ संकेत करती है कि 'आय' शब्द में क्या-क्या शामिल है। इस धारा के अनुसार 'आय' में अग्रलिखित मदें शामिल हैं :

(i) कोई लाभ की रकम,
(ii) लाभांश **(कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश कर-मुक्त है),**
(iii) निम्नलिखित के द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चन्दों से आय :
(क) ऐसे ट्रस्ट अथवा संस्था जिनकी स्थापना धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए हुई हो,
(ख) वैज्ञानिक शोध संघ (Scientific Research Association),
(ग) खेलकूद संघ (Games or Sports Association),
(घ) पुण्यार्थ कोष अथवा पूर्णतया सार्वजनिक, धार्मिक तथा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्था,
(ङ) कोई विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था,
(च) कोई अस्पताल अथवा अन्य संस्था।
(iv) कर्मचारी को प्राप्त ऐसे अनुलाभ या वेतन के स्थान पर लाभ जो 'वेतन' शीर्षक में कर-योग्य है,
(v) कर्मचारी को अनुलाभों के अलावा प्राप्त होने वाला कोई ऐसा विशेष भत्ता या लाभ जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में किये गये व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया हो,
(vi) भारतीय इकाई प्रन्यास के यूनिटों से आय **(कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से यह आय कर-मुक्त है),**
(vii) किसी सहयोगी फण्ड के यूनिटों से आय **(कर-निर्धारण वर्ष 2004-05 से यह आय कर-मुक्त है),**
(viii) विपणन संघ या सत्ता की आय **(कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से),**
(ix) करदाता द्वारा अपने सेवा के स्थान या निवास-स्थान पर कर्तव्य पालन हेतु किये व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति हेतु दिया गया कोई भत्ता अथवा जीवन-निर्वाह की बढ़ी हुई लागत (increased cost of living) की पूर्ति हेतु दिया गया भत्ता, जैसे, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता (C. C. A.),
(x) कम्पनी के संचालक या कम्पनी में सारवान हित (Substantial interest) रखने वाले व्यक्ति को या उसके किसी रिश्तेदार को कम्पनी से प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य,
(xi) प्रतिनिधि करदाता द्वारा प्राप्त लाभ या अनुलाभ का मूल्य,
(xii) प्रतिनिधि करदाता द्वारा लाभ प्राप्तकर्ता (Beneficiary) के किसी ऐसे दायित्व का भुगतान जिसे प्रतिनिधि करदाता द्वारा न किये जाने की दशा में लाभ प्राप्तकर्ता को करना पड़ता,
(xiii) किसी व्यवसाय अथवा पेशे को संचालित करने से उत्पन्न हुए लाभ,
(xiv) पूँजी लाभ,
(xv) धारा 28(via) के अन्तर्गत रहतिये का उचित बाजार मूल्य (वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार),
(xvi) पूर्व में स्वीकृत हानि, व्ययों या व्यापारियों के दायित्वों के सम्बन्ध में प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि,
(xvii) पूर्व वर्षों में स्वीकृत डूबत ऋणों की वापसी,
(xviii) सीमा शुल्क की वापसी,
(xix) कर-योग्य सन्तुलित चार्ज (Taxable Balancing Charge),
(xx) फर्म से साझेदार को प्राप्त ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन एवं अन्य कोई पारिश्रमिक,
(xxi) एक पारस्परिक बीमा कम्पनी के लाभ,
(xxii) लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़-दौड़, ताश के पत्तों का खेल तथा अन्य किसी प्रकार के खेलों (टेलीविजन पर कोई खेल प्रदर्शन) की जीत से प्राप्त रकम।
(xxiii) निम्नलिखित कोषों में अंशदान के लिए कर्मचारियों से प्राप्त कोई राशि :
(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत स्थापित कोष,
(ख) श्रम कल्याण के लिए स्थापित कोई कोष,
(ग) कर्मचारियों के प्रॉवीडेण्ट फण्ड अथवा सुपरऐनुएशन फण्ड,
(xxiv) आयात नियन्त्रण आदेश, 1995 के अन्तर्गत मिले हुए लाइसेंस को बेचने से लाभ,
(xxv) भारत सरकार की निर्यात के सम्बन्ध में किसी योजना के अन्तर्गत प्राप्त या प्राप्य नकद सहायता,
(xxvi) 01-04-2017 को या उसके बाद एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा गैर-रिश्तेदारों से बिना प्रतिफल के प्राप्त ₹ 50,000 से अधिक रकम का उपहार (सम्पूर्ण रकम आय मानी जायेगी),

(xxvii) 01-04-2017 को या उसके बाद एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा बिना प्रतिफल के प्राप्त अचल सम्पत्ति जिसका स्टाम्प ड्यूटी मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है तो सम्पूर्ण स्टाम्प ड्यूटी मूल्य,

(xxviii) 1-04-2017 को या उसके बाद एक व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा बिना प्रतिफल के प्राप्त अन्य कोई सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य ₹ 50,000 से अधिक है तो सम्पूर्ण उचित बाजार मूल्य,

(xxvix) कोई प्राप्त उचित सम्पत्ति जिसका प्रतिफल व स्टाम्प ड्यूटी मूल्य अन्तर ₹ 50,000 से अधिक है तो यह अन्तर की रकम आय मानी जायेगी।

(xxx) प्राप्त क्षतिपूर्ति या प्रतिकर की रकम पर या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की रकम पर प्राप्त ब्याज,

(xxxi) Keyman बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त धन। इसमें बोनस की राशि भी सम्मिलित है,
Keyman बीमा पॉलिसी उस पॉलिसी को कहते हैं जो किसी करदाता द्वारा अपने व्यवसाय में कार्यरत किसी कर्मचारी अथवा करदाता के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के जीवन पर ली गई हो,

(xxxii) एक पारस्परिक बीमा कम्पनी या एक सहकारी समिति द्वारा संचालित किसी बीमा के व्यवसाय अथवा बैंकिंग व्यवसाय, जो साख सुविधाओं को भी उपलब्ध कराती हैं, के लाभ शामिल हैं,

(xxxiii) धारा 10(23C) के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं व कोषों तथा चुनावी प्रन्यास (Electoral Trust) को प्राप्त स्वैच्छिक चन्दे (Voluntary Contributions) **(कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 से प्रभावी),**

(xxxiv) अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रतिफल की रकम, उनके उचित बाजार मूल्य की तुलना में जितनी अधिक होती है उस अधिक रकम को आय माना जायेगा। **(कर-निर्धारण वर्ष 2014-15 से प्रभावी)**

(xxxv) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अन्य कोई सत्ता या एजेन्सी के द्वारा नकद या वस्तु के रूप में करदाता को प्राप्त सहायता या अनुदान या प्रेरणा स्वरूप कोई नकद रकम या कोई छूट या पुनर्भरपाई, किन्तु इसमें अधिनियम की धारा 43 के वाक्यांश (1) के स्पष्टीकरण 10 के अनुसार किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत निर्धारण करते समय छूट या सहायता को छोड़ दिया जायेगा। **(कर-निर्धारण वर्ष 2016-17 से प्रभावी)**

(xxxvi) धारा 56(2)(xi) के अन्तर्गत कोई क्षतिपूर्ति या अन्य भुगतान (01-04-09 से प्रभावी)

इस प्रकार की प्राप्त उक्त सहायता या छूट केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था या ट्रस्ट के फण्ड के उद्देश्य हेतु होनी चाहिए। परन्तु, यदि घरेलू गैस (LPG) पर अथवा कोई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर अनुदान व्यक्तियों को प्राप्त होता है तो ऐसा अनुदान आय नहीं माना जायेगा। परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय या चैरिटेबिल संस्था से प्राप्त स्कॉलरशिप अथवा अदायगी छात्र के लिए आय नहीं मानी जायेगी।

(xxxv) अधिनियम की धारा 56(2)(ix) में सन्दर्भित किसी सम्पत्ति के मूल्य या धन। **(कर-निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रभावी)**

उपर्युक्त 'आय' की परिभाषा सम्पूर्ण नहीं है। इसमें विविध प्राप्तियों का आय के रूप में मात्र विवेचन है। इस प्रकार 'आय' शब्द एक व्यापक अर्थ रखता है। **वे समस्त प्राप्तियाँ व लाभ आय की श्रेणी में आते हैं जो आय-कर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत आय के रूप में माने जाते हैं।**

आय के लक्षण
(FEATURES OF INCOME)

वास्तव में, 'आय' शब्द का तात्पर्य उस मौद्रिक प्राप्ति से है जो कुछ नियमितता के साथ निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। ये निश्चित साधन पाँच शीर्षकों (वेतन, मकान-सम्पत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ, पूँजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय) के रूप में हैं। 'आय' शब्द को समझने के लिए इसके कुछ लक्षणों की जानकारी आवश्यक है। ये लक्षण निम्नलिखित हैं :

(1) **आय का स्वरूप**—आय प्राप्ति के दो स्वरूप हो सकते हैं—मौद्रिक एवं अमौद्रिक। मौद्रिक आय वह होती है जो नकद रूप में प्राप्त होती है तथा अमौद्रिक आय वह होती है जो वस्तु (kind) या सुविधाओं (perquisites) के रूप में प्राप्त होती है, जैसे, कर्मचारी को नियोक्ता की ओर से प्रदत्त कार की सुविधा, भोजन की सुविधा। अमौद्रिक आय के मूल्यांकन के लिए आय-कर अधिनियम में प्रावधान दिये गये हैं जिनके आधार पर इसका मौद्रिक मूल्य ज्ञात किया जाता है।

(2) **आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए**—यदि आय बाहर से प्राप्त नहीं होती है तो उसे आय नहीं कहेंगे। जैसे, किसी क्लब के सदस्यों द्वारा आपस में एकत्रित चन्दे की धनराशि में से क्लब के व्यय घटाने के बाद बची हुई धनराशि को सदस्यों द्वारा आपस में वितरित कर लिया जाये तो इसे सदस्यों की आय नहीं कहा जायेगा क्योंकि उन्होंने इसे बाहर से प्राप्त नहीं किया है।

(3) **आय की वैधानिकता**—आय के अन्तर्गत वैधानिक तथा अवैधानिक प्राप्तियाँ शामिल हैं अर्थात् आय-कर अधिनियम कर लगाने की दृष्टि से कानूनी व गैर-कानूनी दोनों आयों में अन्तर नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत लेता है या कोई डाकू डाका डालकर रुपया कमाता है, तो ये आयें भी कर-योग्य होंगी।

(4) **नियमित या अनियमित आय**—जो आय कभी-कभी प्राप्त होती है उसे अनियमित आय कहते हैं तथा जो आय वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक आदि रूप में प्राप्त होती है उसे नियमित आय कहते हैं। दोनों ही प्रकार की आयें कर-योग्य होती हैं।

(5) **आय की प्राप्ति**—आय एकमुश्त या किस्तों में प्राप्त हो सकती है।

(6) **आय का प्राप्त या उपार्जित होना**—वास्तव में प्राप्त आयें तथा उपार्जित आयें दोनों ही कर-योग्य होती हैं।

(7) **व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता।**

(8) **तलाक** (Divorce) **की दशा में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर पति द्वारा पत्नी को दिया गया गुजारा भत्ता** (Maintenance Allowance) **आय नहीं है। वैसे भी यह पूँजीगत प्राप्ति है।**

(9) **मुद्रा के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप होने वाला लाभ, आय कहलाती है।**

(10) **विवादास्पद सम्पत्ति से आय**—किसी सम्पत्ति पर किन्हीं दो व्यक्तियों का विवाद है, तो उससे प्राप्त होने वाली आय उस व्यक्ति की मानी जायेगी जोकि वास्तव में उसे प्राप्त कर रहा है।

(11) **ऋण या व्ययों के भुगतान करने से मुक्ति मिल जाना आय नहीं है**, जैसे, सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी करना किसानों की आय नहीं है।

(12) **परिवार के किसी सदस्य द्वारा बचत करना आय नहीं है।**

(13) **धर्मादा, गौशाला, आदि के रूप में प्राप्ति आय नहीं है।**

(14) **खर्चे के उपरान्त की गई बचत आय नहीं कहलाती है।**

(15) **आय में हानि शामिल है**—लाभ सकारात्मक आय की, हानि नकारात्मक आय की सूचक है।

(16) **आय के प्रयोग** (Application) **तथा परिवर्तन** (Diversion) **में अन्तर है**—आय के परिवर्तन का अर्थ है आंशिक या पूर्ण आय का करदाता के पास न पहुँचना। यदि किसी व्यक्ति की आय पर किसी विधान के अन्तर्गत कोई दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप इस दायित्व का भुगतान उसे निर्धारित व्यक्ति को करना होता है तो यह आय का परिवर्तन (मोड) कहलायेगा। उदाहरण के लिए, मि. 'एक्स' की आय पर न्यायालय द्वारा ₹ 2,000 उसकी विधवा माँ को भुगतान करने का भार लगा दिया जाय तो यह मि. 'एक्स' की आय नहीं होगी, इस पर कर उसकी विधवा माँ को चुकाना होगा।

(17) **किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली कोई राशि आय है अथवा नहीं**—इस बात का निर्धारण उसी समय हो जाता है, जबकि वह व्यक्ति इस राशि को प्राप्त करता है। उदाहरणार्थ, किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत प्राप्त अग्रिम राशि। अनुबन्ध भंग करने के परिणामस्वरूप प्राप्त राशि को जब्त कर लिया जाना आय नहीं है।

सकल कुल आय
(GROSS TOTAL INCOME)

एक व्यक्ति अनेक स्रोतों से आय कमा सकता है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय को पाँच शीर्षकों में रखा जाता है—(1) वेतन से आय, (2) मकान-सम्पत्ति से आय, (3) व्यापार अथवा पेशे के लाभ, (4) पूँजी लाभ, एवं (5) अन्य साधनों से आय।

सर्वप्रथम उपर्युक्त प्रत्येक आय के शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य आय की गणना आय-कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। तदुपरान्त इन सभी कर-योग्य आयों का योग लगाया जाता है। आय के इस योग को **सकल कुल आय** कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी करदाता की सकल कुल आय से आशय उस कुल आय से है जिसमें से आय-कर अधिनियम में वर्णित **धारा 80C से 80U** तक की कटौतियाँ न घटी हों। यदि किसी करदाता की आय की विभिन्न मदें आय के पाँचों शीर्षकों के अन्तर्गत कर-योग्य नहीं हैं बल्कि एक, दो या तीन शीर्षकों में ही कर-योग्य हैं, तो इन्हीं शीर्षकों की आय के योग को सकल कुल आय कहेंगे। उदाहरण के तौर पर, श्री सुरेश, जो एक कम्पनी में सेवारत है, की गत वर्ष में केवल 'वेतन' शीर्षक में कर-योग्य आय ₹ 4,80,000 है, उसकी आय के अन्य साधन नहीं हैं, तो इसी ₹ 4,80,000 के कर-योग्य वेतन को ही सकल कुल आय कहा जायेगा।

सकल कुल आय को निम्नलिखित तालिका द्वारा दर्शाया जा सकता है :

सकल कुल आय
(Gross Total Income)

	राशि (₹)
1. 'वेतन' से आय (Income from 'Salary')	.....
2. मकान-सम्पत्ति से आय (Income from House Property)	.....
3. व्यापार अथवा पेशे के लाभ (Profit from Business or Profession)	.....
4. 'पूँजी लाभ' ('Capital Gains')	.....
5. अन्य साधनों से आय (Income from Other Sources)	.....
सकल कुल आय (G. T. I.)	.....

कुल आय
(TOTAL INCOME)

सकल कुल आय में से **धारा** 80C से 80U तक की कटौतियाँ घटाने के बाद जो राशि शेष बचती है, उसे कुल आय या शुद्ध कर-योग्य आय कहते हैं। आय-कर की रकम की गणना इसी आय पर की जाती है। आय-कर के लिए कुल आय को ₹ 10 के निकटतम गुणक (in multiple of ₹ 10) तक पूर्ण (round-off) किया जायेगा।

सकल कुल आय एवं कुल आय की तुलना
(COMPARISON OF GROSS TOTAL INCOME AND TOTAL INCOME)

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर 'सकल कुल आय' एवं 'कुल आय' की तुलना करके दोनों में अन्तर स्पष्ट किया जा सकता है :

क्र. सं.	अन्तर का आधार	सकल कुल आय	कुल आय
1.	**आशय**	आय के विभिन्न शीर्षकों—वेतन, मकान-सम्पत्ति से आय, व्यापार या पेशे के लाभ, पूँजी लाभ एवं अन्य साधनों से आय की कर-योग्य आय के योग को सकल कुल आय कहते हैं।	सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत वर्णित कटौतियों को घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है, उसे कुल आय कहते हैं।
2.	**धारा 80 की कटौतियाँ**	सकल कुल आय की गणना धारा 80 की कटौतियाँ घटाने से पूर्व की जाती है।	कुल आय की गणना धारा 80 की कटौतियाँ घटाने के बाद की जाती है।
3.	**आय को पूर्ण करना**	सकल कुल आय को ₹ 10 के निकटतम गुणक तक पूर्ण (round-off) नहीं करते।	कुल आय को ₹ 10 के निकटतम गुणक तक पूर्ण कर दिया जाता है।
4.	**आय-कर की गणना**	सकल कुल आय पर आय-कर की गणना नहीं की जाती।	कुल आय ही कर-योग्य आय होती है और इसी आय पर आय-कर की दरों को लागू करके आय-कर की राशि ज्ञात की जाती है।
5.	**दोनों आयों का बराबर होना**	सकल कुल आय कुल आय से अधिक अथवा उसके बराबर भी हो सकती है।	कुल आय, सकल कुल आय के बराबर या उससे कम होती है।
6.	**कुल आय की गणना में होने वाली कटौतियों का ज्ञान**	किसी व्यक्ति द्वारा सकल कुल आय की गणना करते समय कुल आय की गणना करने में की जाने वाली कटौतियों की जानकारी करना आवश्यक नहीं है।	किसी व्यक्ति द्वारा कुल आय की गणना करते समय इन समस्त कटौतियों की जानकारी करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इन कटौतियों को घटाये बिना कुल आय की गणना असम्भव है।

आकस्मिक आय
(CASUAL INCOME)

आकस्मिक आय का आशय—यदि किसी करदाता को कोई आय बिना पूर्वानुमान के, संयोगवश (By chance) प्राप्त हो जाती है और वह आय बार-बार प्राप्त होने वाली प्रकृति की नहीं (Non-recurring nature) होती है तो ऐसी

प्राप्त आय आकस्मिक आय कहलाती है। इस आय के अन्तर्गत लॉटरी की जीत से आय, घुड़दौड़ से आय, वर्ग-पहेली, ताश के खेल, शर्त लगाने से आय आदि शामिल हैं।

आकस्मिक आय के लक्षण—(1) आकस्मिक आय की प्राप्ति का स्रोत निश्चित नहीं होता है।

(2) यह प्राप्ति अचानक, भाग्यवश, अनिश्चित समय पर बिना उम्मीद के होती है।

(3) आकस्मिक आय के प्राप्त होने का पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(4) आकस्मिक आय की सम्पूर्ण रकम कर-योग्य है।

(5) आकस्मिक आय के बार-बार प्राप्त होने की सम्भावना नहीं रहती है अर्थात् ऐसी आय को दुबारा प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते, भले ही अचानक यह आय दुबारा प्राप्त हो जाये।

आकस्मिक आय के उदाहरण—(1) कोई धन या कीमती वस्तु सड़क पर पड़ी हुई मिल जाना।

(2) लॉटरी में जीती हुई धनराशि।

(3) वर्ग पहेली, ताश के खेल, शर्त अथवा किसी भी प्रकृति के जुए में जीती हुई धनराशि।

(4) किसी विवाद में पंच बनने का पारिश्रमिक प्राप्त करना (बिना पूर्व प्रावधान के)।

(5) किसी खोये हुए बच्चे को ढूँढ़कर लाने वाले व्यक्ति को मिला इनाम (इनाम घोषित होने से पूर्व)।

(6) घुड़दौड़ या अन्य किसी दौड़ में जीती राशि।

(7) धन का खजाना मिल जाना।

(8) टिकट व सिक्के संग्रह (Coin Collection) एवं बागवानी (Gardening) से प्राप्त इनाम।

निम्नलिखित में से सभी अथवा एक से जीती हुई रकम कर-योग्य होगी :

(i) लॉटरी से जीत (Winning from lotteries)

(ii) वर्ग पहेली से जीत (Winning from Crossword puzzles)

(iii) दौड़ (घुड़दौड़ सहित) से जीत (Race including horse races)

(iv) किसी भी प्रकृति के जुए अथवा शर्त की जीत (Winning from gambling or batting of any form or nature)।

'लॉटरी' शब्द में किसी व्यक्ति को इनाम जीतने से संयोगवश प्राप्त राशि तथा किसी ड्रा से प्राप्त राशि जो किसी अन्य योजना के अन्तर्गत निकाला गया हो, शामिल की जायेगी। इसमें दूरदर्शन अथवा विद्युत्चालित माध्यम (Electronic Media), जो मनोरंजक कार्यक्रम या कोई अन्य गेम शो आयोजित करते हैं जिसमें प्रतियोगी इनाम की रकम जीतने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, भी शामिल किया जायेगा।

आकस्मिक आय के सम्बन्ध में कुछ विशेष बिन्दु

1. आकस्मिक आय प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये गये व्ययों की कटौती किसी भी आय से नहीं दी जायेगी।
2. आकस्मिक हानि की पूर्ति किसी भी आय से नहीं की जायेगी।
3. आकस्मिक आय निर्धारित रकम से अधिक है तो उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। **[विस्तृत जानकारी हेतु देखिए अध्याय 12 : अन्य साधनों से आय]**
4. आकस्मिक आय पर 30% की दर से कर लगाया जायेगा।
5. **आयें जो आकस्मिक नहीं**—निम्नलिखित आयें आकस्मिक आय नहीं मानी जायेंगी :
   (i) कर-योग्य पूँजी लाभ या व्यवसाय अथवा पेशे में उदित हुई प्राप्तियाँ।
   (ii) वेतनभोगी कर्मचारी के पारिश्रमिक में शामिल होने वाली प्राप्तियाँ जैसे—बोनस, अनुलाभ, ग्रेच्युइटी आदि।
   (iii) स्वेच्छा से दी गई बख्शीस या इनाम जैसे—होटल में बैरे को प्राप्त बख्शीस, टैक्सी ड्राइवर को बख्शीस, किसी वकील को अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्धारित फीस से अधिक धन (मुद्रा अथवा वस्तु के रूप में)।
   (iv) किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत चुकाई गयी रकम आकस्मिक आय की श्रेणी में नहीं होगी। जैसे—पति द्वारा पत्नी को अलग-अलग रहने के अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान की गई रकम। यह न आकस्मिक आय है और न व्यक्तिगत भेंट। यह प्राप्त रकम कर-योग्य होगी।
6. व्यक्तिगत भेंट जैसे जन्म दिवस पर प्राप्त भेंट। यह प्रतिवर्ष प्राप्त होती है तो भी आय में शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार की भेंट पारिवारिक प्रेम के कारण दी जाती है। इनके उदाहरणा हैं—एक पति द्वारा पत्नी को भेंट, एक रिश्तेदार द्वारा दूसरे रिश्तेदार को भेंट, पिता द्वारा पुत्र को भेंट।

Example 5

बताइए कि क्या निम्न प्राप्तियाँ आकस्मिक आयें हैं :

(i) मिस्टर 'एक्स' को पंच का कार्य करने के लिए ₹ 5,000 प्राप्त हुए जबकि पारिश्रमिक के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

(ii) मिस्टर 'व्हाई' को पंच का कार्य करने के लिए ₹ 5,000 प्राप्त हुए जिस पर पारिश्रमिक के लिए स्पष्ट तथा निश्चित प्रावधान था।

(iii) न्यायालय के आदेशानुसार ऋणी मिस्टर 'व्हाई' पर डिक्री को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए डिक्रीधारी मिस्टर 'एक्स' को ₹ 500 ब्याज के प्राप्त हुए।

(iv) मिस्टर 'एक्स' मिस्टर 'व्हाई' के यहाँ सेवा कर रहा है। मिस्टर 'व्हाई' का पुत्र खो गया और मिस्टर 'एक्स' ने बिना पारिश्रमिक के प्रावधान के उसे खोज निकाला, परन्तु मिस्टर 'व्हाई' ने उसे ₹ 500 इनाम के दिये।

State whether the following receipts are casual incomes :

(i) Mr. X received ₹ 5,000 for acting as an arbitrator without any stipulation as to remuneration.

(ii) Mr. Y received ₹ 5,000 for acting as an arbitrator with a clear and definite stipulation for the said remuneration.

(iii) Mr. X, a decreeholder received interest of ₹ 500 under an order of Court granting stay of execution of the decree on judgment debtor Mr. Y.

(iv) Mr. X is in the service of Mr. Y, Mr. Y's son was lost and Mr. X traced him out without any stipulation of reward but Mr. Y gave him a reward of ₹ 500.

Solution

(i) यह प्राप्ति आकस्मिक है तथा बारम्बार प्राप्त होने वाली प्रकृति की नहीं है क्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था। अत: यह आकस्मिक आय है।

(ii) मिस्टर व्हाई को पंच के कार्य करने के लिए निश्चित पारिश्रमिक देने का स्पष्ट प्रावधान था और उसने इस पारिश्रमिक पर कार्य करना स्वीकार कर लिया था। अत: यह प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है।

(iii) डिक्रीदार द्वारा ₹ 500 ब्याज की प्राप्ति आकस्मिक आय नहीं है।

(iv) यह आकस्मिक तथा बार-बार न होने वाली प्रकृति की है और क्योंकि पारिश्रमिक देने का कोई प्रावधान नहीं था। अत: यह आकस्मिक आय है।